

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एएचडब्ल्यू-152/2018/

दिनांक-

आदेश

अवमानना याचिका संख्या 1333/2017 इन एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4492/2017 मुरारीलाल शर्मा बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.17 की पालना में श्री मुरारीलाल शर्मा ने अभ्योवदन दिनांक 17.04.17 के साथ निर्णय की प्रति संलग्न कर 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने वेतनमान 6500-10500 के स्थान पर 7500-12000 स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.17 निम्न प्रकार है:-

"Learned counsel for the petitioner submits that the controversy raised in the instant writ application is no more resintegra in view of the adjudication by a Coordinate Bench of this Court in the case of Bhuvneshwar Pal Vs. State & Anr.:SBCWP No.2830/2013, along with connected matters, decided on 13th August, 2014, so also in the case of Devi Singh Swarnakar Vs. State of Raj. & Ors.:SBCWP No.10028/2011, along with analogous matters, decided on 25th August, 2011.

In view of the above, learned counsel for the petitioner submits that for the present, he would be satisfied if the State- respondents are directed to decide the representation of the petitioner within a time frame, which he is ready and willing to address within two weeks hereinafter.

In view of the limited prayer addressed; the instant writ proceedings are closed with a direction to the petitioner to address a comprehensive representation to the respondents ventilating his grievance.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order, in accordance with law, as expeditiously as possible; however, in no case later than four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order."

With the observations and directions, as indicated above, the writ application stands disposed off.

उक्त निर्णय एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2830/2013 भुवनेश्वर पाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.08.14 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10028/2011 देवीसिंह स्वर्णकार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 के समान एवं पूर्णतः कवर होता है। जिसमें उक्त याचिकाकर्ताओं के समान ही 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 7500-12000 स्वीकृत किये जाने से संबंधित है।

प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.04.17 के तथ्यों के मध्यनजर पूर्ण विवेचन व मनन पश्चात याचिकाकर्ता को 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर समान प्रकरण श्री भुनेश्वर एवं श्री देवीसिंह स्वर्णकार के प्रकरण में दायर डी.बी.स्पेशल अपील में होने वाले निर्णय के अध्यक्षीन वेतनमान 6500-10500 के स्थान पर चयनित वेतनमान 7500-12000 स्वीकृत किया जाकर अभ्यावेदन दिनांक 17.04.17 को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

दिनांक- 12/06/2018

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एएचडब्ल्यू-152/2018/860

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 1648 दिनांक 04.04.18 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3)विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 476 दिनांक 04.04.18 के क्रम में।
3. श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
4. उपविधि परामर्शी मुख्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को भेजकर लेख है कि श्री मुरारीलाल शर्मा, नर्स-2 (एएचडब्ल्यू) के प्रकरण में माननीय न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 03.04.17 की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।
6. उप निदेशक (नर्सिंग) एवं समन्वयक मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण खारिज करवाने की कार्यवाही करावें।
7. श्री मुरारीलाल शर्मा, याचिकाकर्ता को रिट पर उपलब्ध पते पर।
8. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश /रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।